

प्रेषक,

संतोष कुमार यादव,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 06, जनपद आजमगढ़।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन
अभियोजन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश.
जनपद आजमगढ़।

विषय:- उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-
2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 व माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद के परिपत्र सं० 10219/IV-F-82 (pension)/Admin-A dated-
july 29, 2024 के अनुक्रम में शासनादेश सं०-24/2024/सा-3-276/दस-
2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना
के विकल्प को चुने जाने के बावत प्रार्थना पत्र-

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में सादर निवेदन निम्नवत् है:-

- 1- यह कि प्रार्थी संतोष कुमार यादव पुत्र स्व० श्री राममूरत यादव, वर्तमान समय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 06, आजमगढ़ के पद पर कार्यरत है।
- 2- यह कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी 2002 के अंतर्गत प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति अभियोजन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 28.03.2005 को हुआ था, जिसकी विज्ञप्ति सं० ए-4/ई-1/2002 है, जिसमें प्रार्थी के योगदान की तिथि दिनांक 11.05.2005 है।
- 3- यह कि प्रार्थी की न्यायिक सेवा में नियुक्ति दिनांक 26.05.2006 को उ०प्र० न्यायिक सेवा-2003 के अंतर्गत अपर सिविल जज (जू०डि०), फैजाबाद के पद पर जनपद न्यायालय, फैजाबाद में हुयी। उक्त पद पर प्रार्थी के योगदान की तिथि दिनांक 22.06.2006 है। जिसका विज्ञापन सं० ए-2/ई-1/2003 है। जिसके अनुक्रम में प्रार्थी वर्तमान में उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 आजमगढ़ के पद पर कार्यरत है।
- 4- यह कि प्रार्थी वर्तमान में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है, किन्तु प्रार्थी उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०

8/

14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अनुक्रम में उ०प्र० सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का वरण/चयन कर रहा है। जिसके लिये प्रार्थी द्वारा उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के संलग्नक के रूप में जारी विकल्प-पत्र को भरकर पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करते हुये, प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ आदरणीय महोदय को प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आदरणीय महोदय से अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि उ०प्र० सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अंतर्गत "पुरानी पेंशन योजना" का लाभ प्रार्थी को प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 20.09.2024

भवदीय,

Santosh Kumar Yadav
(संतोष कुमार यादव) 20/09/2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 06, आजमगढ़।

संलग्नक:-उक्त शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित विकल्प पत्र।

✓ **प्रतिलिपि:-** आदरणीय महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

दिनांक 20.09.2024

(संतोष कुमार यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 06, आजमगढ़।

Office of the District Judge, Azamgarh
Latter No. 1600/10 Date... 20.09.2024
Forwarded for information and necessary action

District Judge
Azamgarh

शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11

जुलाई, 2024 का संलग्नक:-

विकल्प पत्र


क्रम सं०	नाम	संतोष कुमार यादव
1	वर्तमान पदनाम	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 06 आजमगढ़
2	वर्तमान वेतनमान	रुपये- 167929/- प्रतिमाह
3	वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
4	राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-	अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
5	विज्ञप्ति की तिथि	25 जनवरी, 2003 (विज्ञापन सं०-ए-4/ई-1/2002
6	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	28 मार्च 2005
7	योगदान की तिथि	11 अप्रैल 2005
8	राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-	न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
9	विज्ञप्ति की तिथि	22-28 नवंबर 2003 रोजगार समाचार (विज्ञापन सं०- ए-2/ई-1/2003
10	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26.05.2006
11	योगदान की तिथि	22.06.2006
12	जन्मतिथि	25.12.1969
13	सेवानिवृत्ति की तिथि	31.12.2029

मैं, संतोष कुमार यादव पुत्र स्व० श्री राममूरत यादव शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/ नवीन पेंशन योजना (x) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाये।

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-


(संतोष कुमार यादव) 20/09/2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 06, आजमगढ़।

JO CODE-UP06397


घोषणा पत्र

मैं, संतोष कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 06, आजमगढ़, यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-1 से 13 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-


(संतोष कुमार यादव) 20/09/2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं० 06, आजमगढ़।

JO CODE-UP06397

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री संतोष कुमार यादव, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 06, आजमगढ़ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (√)/नवीन पेंशन योजना (x)** में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।


कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति